संख्या सा–3–1647 / दस–7000-82

प्रेषक,

श्री जगमोहन लाल बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 6 अक्तूबर, 1982।

विषय :–विना स्वास्थ्य परीक्षा के पेंशन राशिकरण के मामलों में राशिमूल्य की गणना स्वीकृताधिकारी द्वारा ही करके स्वीकृति प्रदान किया जाना।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा–3–1445 / दस–7040-78, दिनांक 3–6–1980 सपठित शासनादेश संख्या सा–3–710 / दस–7040-78, दिनांक 8–5–1981 में निहित आदेशों के अनुसार उनमें उल्लिखित शर्तों के अधीन सेवानिवृत्ति अथवा पी0 पी0 ओ0 जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर राज्य पेंशनर द्वारा अपनी पेंशन के भाग के राशिकरण हेतु आवेदन करने पर उसे राशिकरण प्रयोजन हेतु स्वास्थ्य परीक्षा से छूट अनुमन्य की गई है। उ0 प्र0 सिविल पेंशन (कम्यूटेशन) रूल्स के नियम 8 सपठित नियम 25 के अनुसार अपेक्षित है कि आवेदित अथवा अनुमन्य राशिकृत पेंशन के भाग की देय राशिमूल्य की सूचना महालेखाकार से मांग कर ही अन्तिम स्वीकृति जारी की जाय। इस प्रक्रिया के अनुसरण में पर्याप्त समय लग जाता है और पेंशनर को स्वीकृति मिलने में विलम्ब होने से कठिनाई होती है।

6.X.82

2––उपर्युक्त कठिनाई के निराकरण के लिए महालेखाकार के परामर्श से विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने सहर्ष आदेश दिये हैं कि तात्कालिक प्रभाव से इस संबंध में निम्न संशोधित व्यवस्था लागू कर दी जाय :––

(1) जिन मामलों में पेंशन के एक भाग के राशिकरण हेतु स्वास्थ्य परीक्षा से छूट अनुमन्य हो उन मामलों में स्वीकृताधिकारी अपने स्तर पर ही शासन द्वारा निर्धारित राशि मूल्य की दरों के आधार पर राशि मूल्य की गणना करके अनुमन्य धनराशि के राशिकरण की स्वीकृति के आदेश महालेखाकार उत्तर प्रदेश को भेज दें।

(2) ऐसे मामलों में स्वीकृति के आदेश महालेखाकार के कार्यालय में प्राप्त होने पर उनके द्वारा कोषाधिकारी को धनराशि के भुगतानादेश जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृताधिकारी द्वारा की गई राशिमूल्य की गणना ठीक है तथा राशिकृत भाग की धनराशि पेंशनर के पेंशन के तिहाई भाग, जो कि नियमानुसार अनुमन्य है, से अधिक नहीं है।

अतः उक्त श्रेणी के पेंशन राशिकरण के मामलों में स्वीकृति उक्त संशोधित प्रक्रिया के अनुसार जारी की जाय। अन्य मामलों में जिनमें स्वास्थ्य परीक्षा कराया जाना अपेक्षित हो, पूर्व की भांति राशिमूल्य की सूचना महालेखाकार से प्राप्त करके ही स्वीकृति जारी की जायगी। राशिकरण हेतु राशि मूल्य की निर्धारित दरों की तालिका की प्रति सूचनार्थ एवं उपयोगार्थ संलग्न है। सुविधा एवं मार्गदर्शन हेतु अनुलग्नक में राशिमूल्य की संगणना के कुछ उदाहरण भी दिये गये हैं।

3––उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्यूटेशन) रूल्स को इन आदेशों द्वारा उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। औपचारिक संशोधन यथासमय अलग से किया जायेगा।

भवदीय,

जे० एल० बजाज,
वित्त सचिव।

Rule 8 amended

ANNEXURE

Commutation Table effective from 1st March, 1971 prescribed by Government of India vide Ministry Finance O.M. no. 2(1)—E.V.-71, dated March 6, 1971 and circulated by Government of U.P. Endorsement no. G-2-687/X-5-57, dated March 29, 1971.

Commutation Values for a pension of Re. 1 per annum

Age Next birthday	Commutation Value expressed as number of years' purchase	Age Next birthday	Commutation value expressed as number of years' purchase
	Rs. P.		Rs. P.
17	19.28	51	12.95
18	19.20	52	12.66
19	19.11	53	12.35
20	19.01	54	12.05
21	18.91	55	11.73
22	18.81	56	11.42
23	18.70	57	11.18
24	18.59	58	10.78
25	18.47	59	10.46
26	18.34	60	10.13
27	18.21	61	09.81
28	18.07	62	9.48
29	17.93	63	9.15
30	17.78	64	8.82
31	17.62	65	8.50
32	17.46	66	8.17
33	17.25	67	7.85
34	17.11	68	7.53
35	16.92	69	7.22
36	16.72	70	6.91
37	16.52	71	6.60
38	16.31	72	6.30
39	16.09	73	6.01
40	15.97	74	5.72
41	15.64	75	5.44
42	15.40	76	5.17
43	15.15	77	4.90
44	14.90	78	4.65
45	14.64	79	4.40
46	14.37	80	4.17
47	14.10	81	3.94
48	13.82	82	3.72
49	13.54	83	3.52
50	13.25	84	3.32
		85	3.13

ANNEXURE

Commutation Table effective from 1st March, 1971 prescribed by Government of India vide Ministry Finance O.M. no. 2(1)—E.V.-71, dated March 6, 1971 and circulated by Government of U.P. Corsement no. G-2-687/X-5-57, dated March 29, 1971.

Commutation Values for a pension of Re. 1 per annum

Age Next birthday	Commutation Value expressed as number of years, purchase	Age Next birthday	Commutation value expressed as number of years' purchase
	Rs. P.		Rs. P.
17	19.28	51	12.95
18	19.20	52	12.66
19	19.11	53	12.35
20	19.01	54	12.05
21	18.91	55	11.73
22	18.81	56	11.42
23	18.70	57	11.18
24	18.59	58	10.78
25	18.47	59	10.46
26	18.34	60	10.13
27	18.21	61	09.81
28	18.07	62	9.48
29	17.93	63	9.15
30	17.78	64	8.82
31	17.62	65	8.50
32	17.46	66	8.17
33	17.25	67	7.85
34	17.11	68	7.53
35	16.92	69	7.22
36	16.72	70	6.91
37	16.52	71	6.60
38	16.31	72	6.30
39	16.09	73	6.01
40	15.97	74	5.72
41	15.64	75	5.44
42	15.40	76	5.17
43	15.15	77	4.90
44	14.90	78	4.65
45	14.64	79	4.40
46	14.37	80	4.17
47	14.10	81	3.94
48	13.82	82	3.72
49	13.54	83	3.52
50	13.25	84	3.32
		85	3.13

ANNEXURE

Commutation Table effective from 1st March, 1971 prescribed by Government of India vide Ministry Finance O.M. no. 2(1)—E.V.-71, dated March 6, 1971 and circulated by Government of U.P. Endorsement no. G-2-687/X-5-57, dated March 29, 1971.

Commutation Values for a pension of Re. 1 per annum

Age Next birthday	Commutation Value expressed as number of years' purchase	Age Next birthday	Commutation value expressed as number of years' purchase
	Rs. P.		Rs. P.
17	19.28	51	12.95
18	19.20	52	12.66
19	19.11	53	12.35
20	19.01	54	12.05
21	18.91	55	11.73
22	18.81	56	11.42
23	18.70	57	11.18
24	18.59	58	10.78
25	18.47	59	10.46
26	18.34	60	10.13
27	18.21	61	09.81
28	18.07	62	9.48
29	17.93	63	9.15
30	17.78	64	8.82
31	17.62	65	8.50
32	17.46	66	8.17
33	17.25	67	7.85
34	17.11	68	7.53
35	16.92	69	7.22
36	16.72	70	6.91
37	16.52	71	6.60
38	16.31	72	6.30
39	16.09	73	6.01
40	15.97	74	5.72
41	15.64	75	5.44
42	15.40	76	5.17
43	15.15	77	4.90
44	14.90	78	4.65
45	14.64	79	4.40
46	14.37	80	4.17
47	14.10	81	3.94
48	13.82	82	3.72
49	13.54	83	3.52
50	13.25	84	3.32
		85	3.13

ANNEXURE

Commutation Table effective from 1st March, 1971 prescribed by Government of India vide Ministry Finance O.M. no. 2(1)—E.V.-71, dated March 6, 1971 and circulated by Government of U.P. Endorsement no. G-2-687/X-5-57, dated March 29, 1971.

Commutation Values for a pension of Re. 1 per annum

Age Next birthday	Commutation Value expressed as number of years' purchase	Age Next birthday	Commutation value expressed as number of years' purchase
	Rs. P.		Rs. P.
17	19.28	51	12.95
18	19.20	52	12.66
19	19.11	53	12.35
20	19.01	54	12.05
21	18.91	55	11.73
22	18.81	56	11.42
23	18.70	57	11.18
24	18.59	58	10.78
25	18.47	59	10.46
26	18.34	60	10.13
27	18.21	61	09.81
28	18.07	62	9.48
29	17.93	63	9.15
30	17.78	64	8.82
31	17.62	65	8.50
32	17.46	66	8.17
33	17.25	67	7.85
34	17.11	68	7.53
35	16.92	69	7.22
36	16.72	70	6.91
37	16.52	71	6.60
38	16.31	72	6.30
39	16.09	73	6.01
40	15.97	74	5.72
41	15.64	75	5.44
42	15.40	76	5.17
43	15.15	77	4.90
44	14.90	78	4.65
45	14.64	79	4.40
46	14.37	80	4.17
47	14.10	81	3.94
48	13.82	82	3.72
49	13.54	83	3.52
50	13.25	84	3.32
		85	3.13

अनुलग्नक

बिना स्वास्थ्य परीक्षा के पेंशन राशिकरण हेतु राशिमूल्य की संगणना

पेंशन की धनराशि	अधिकतम अनुमन्य राशिकरण (1/3) रु0	जन्म-तिथि	सेवानिवत्ति	पी0पी0ओ0 तिथि	की राशिकरण हेतु पूर्ण आवेदन प्राप्त होने का दिनांक	अगली जन्मतिथि पर आयु व उस पर निर्धारित राशि मूल्य की दर (प्रति रु0)	कुल देय राशि मूल्य
1—300 रु0	100 रु0	15-7-24	31-7-82	31-12-82	15-1-83	59 वर्ष 125 रु0 52 पै0 (रु0 10.46×12) (=रु0 125.52)	रु0 125.52×100 =12,552.00
2—300 रु0	100 रु0	15-7-24	31-7-82	31-12-82	20-7-83	60 वर्ष 121 रु0 56 पै0 (रु0 10.13×12 =रु0 121.56)	रु0 121.56×100 =12,156.00
3—300 रु0	100 रु0	15-7-24	31-7-82	10-8-84	1-10-84	61 वर्ष 117 रु0 72 पै0 (रु0 9.81×12 =रु0 117.72)	रु0 117.72×100 =11,772.00

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0—41 सा0 (भाषा)—16-10-82 (2301)—1982—10,000 (हिन्दी)